न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला– सीहोर

चांद सिंह पुत्र राधोकेशन निवासी ग्राम अमरोद तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

1. भारत सिंह पुत्र श्री चैनसिंह निवासी ग्राम अमरोद तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन ..... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1496/II/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03.06.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुर्नविलोकन निम्न तथ्यों आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक चांद सिंह ने ग्राम अमरोद स्थित प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.05.2013 को प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेश दिये। ओर प्रकरण दिनांक 24.05.13 को नियत किया गया। अतिरिक्त तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 24.05.13 द्वारा अनावेदक भारत सिंह द्वारा की गयी आपत्ति को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अनावदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1496 II/ 2014 प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2014 से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सीहोर के द्वारा की जा रही समस्त अग्रिम कार्यवाही को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है।
2. यहकि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपने तर्को में यह उल्लेख किया था कि प्रश्नाधीन भूमि उसके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जिसका सीमांकन कराने का अधिकार उसके स्वंय का है। सीमांकन प्रकरण मे स्वत्व का निराकरण नही किया जा सकता है ऐसी दशा में अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अनावेदक की आपत्ति खारिज करने में कोई गलती नही की है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि वाह्य है। ओर इन्ही आधारो पर अनावदेक द्वारा प्रस्तुत किया गया पुनरीक्षण खारिज किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत् विचार न कर जो आदेश पारित किया है वह अभिलेख की प्रत्यक्ष दर्शी त्रुटि होने से पुर्नविलोकन योग्य है। माननीय न्यायालय के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह वर्तमान पुर्नविलोकन उपरोक्त तथ्यो के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1731 दो/14 जिला सीहोर

प्रकरण संख्या दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20—6—14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक आर. 1496—दो/14 में पारित आदेश दिनांक 3—6—14 के विरूद्ध म.प्र.भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । 2— आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है । 1— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना, जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। 2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती 3— कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्वमान होना नहीं पाया जाता, इसलिये यह पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	